

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 राजाराम कोठारी पुत्र घनश्याम कोठारी निवासी मातेश्वरी कॉलोनी, मेडता रोड तहसील मेडता जिला नागौर फर्म:- मैसर्स जय दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, माताजी कॉलोनी मेडता रोड तहसील मेडता जिला नागौर 2 संगीता कोठारी पत्नी राजाराम कोठारी निवासी मातेश्वरी कॉलोनी, मेडता रोड तहसील मेडता जिला नागौर फर्म:- मैसर्स जय दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, माताजी कॉलोनी मेडता रोड तहसील मेडता जिला नागौर 3 भंवरलाल बजाज पुत्र शिवदयाल बजाज निवासी 139 बिहानियों का मौहल्ला, मेडता सिटी जिला नागौर फर्म:- मैसर्स भगवान ऑयल इण्डस्ट्रीज जी-1/64-65 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मेडता सिटी जिला नागौर

आदेश

दिनांक :23.05.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 18-08-21 को मैसर्स जय दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, माताजी कॉलोनी मेडता रोड तहसील मेडता जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ रिफायंड सोयाबीन तेल (वंडर स्टार) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1579 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/297/एक्ट/2021/190 दिनांक 26.08.21 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ रिफायंड सोयाबीन तेल (वंडर स्टार) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण राजाराम कोठारी पुत्र घनश्याम कोठारी निवासी मातेश्वरी कॉलोनी, मेडता रोड तहसील मेडता जिला नागौर, संगीता कोठारी पत्नी राजाराम कोठारी निवासी मातेश्वरी कॉलोनी, मेडता रोड तहसील मेडता जिला नागौर तथा भंवरलाल बजाज पुत्र शिवदयाल बजाज निवासी 139 बिहानियों का मौहल्ला, मेडता सिटी जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 11-03-22 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 06.05.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से पैकिंग तेल का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड पाया गया। मैं यह पैकिंग तेल भगवान ऑयल इन्डीस्ट्रीज मेडता से खरीदता हूँ। भविष्य में तेल खरीदते समय तेल की गुणवत्ता का ध्यान रखकर तत्पश्चात बेचूंगा। अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने जय दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी से जो तेल का सैम्पल भरा वो मेरी फर्म से पैकिंग किया जाता है, जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते हैं तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/297/एक्ट/2021/190 दिनांक 26.08.21 के अनुसार खाद्य पदार्थ रिफायंड सोयाबीन तेल (वंडर स्टार) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 राजाराम कोठारी पुत्र घनश्याम कोठारी निवासी मातेश्वरी कॉलोनी, मेडता रोड तहसील मेडता जिला नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 02 संगीता कोठारी पत्नी राजाराम कोठारी निवासी मातेश्वरी कॉलोनी, मेडता रोड तहसील मेडता जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 03 भंवरलाल बजाज पुत्र शिवदयाल बजाज निवासी 139 बिहानियों का मौहल्ला, मेडता सिटी जिला नागौर पर रूपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये कुल 20,000/- अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित

अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शासित राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निवासित समयावधि में शासित राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)

अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नागौर
नागौर (राजस्थान)